राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ E.O. No.- 92275 जयपुर, दिनांक: 13-04-2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न विकास कार्यो के सम्पादन के संबंध में

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न विकास कार्यो के सम्पादन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है:–

1. **सीमेंट एवं लोहे की बीएसआर दरों का निर्धारण :–** वर्तमान में जिला दर निर्णायक समिति द्वारा सामान्यतः वर्ष में एक बार सभी निर्माण सामग्री की दर तय की जाती है। सीमेन्ट एवं लोहे की दरो में वर्ष के दौरान असमान उतार चढाव होता है। अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बाजार सर्वे के आधार पर तिमाही रूप से सीमेंट एवं लोहे की दर का निर्धारण किया जावे।

   जिन पंचायतो में सम्पूर्ण वर्ष के लिये आवश्यक सामग्री का क्रय करने हेतु निविदाएं निर्णित की जा चुकी है अथवा किसी कार्य विशेष के लिए निविदाएं आमत्रित की जा चुकी है तो निर्णित निविदाओ पर बाद में संशोधित दरों का प्रभाव नहीं होगा।

2. निविदादाता के संतोषप्रद कार्य सम्पादन के नियमानुसार प्रमाणीकरण उपरान्त कार्य की धरोहर राशि कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 12 माह की अवधि के उपरान्त ही नियमानुसार लौटाई जा सकेगी।

3. पंचायती राज संस्थाएं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निविदा के आधार पर कार्य कराने की स्थिति में सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गठित क्रय समिति के सभी सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति के सिफारिश के आधार पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपापन संस्था निर्णय हेतु अधिकृत है।

(सुदर्शन सेठी) 13.4.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव